न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :— श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :— 189 / 2019

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 पन्नाराम पुत्र चुतराराम 2 रावताराम पुत्र देराजराम 3 पन्नीदेवी पत्नी देराजराम जाति जाट निवासी दानपुरा (शिवकर) तहसील व जिला बाडमेर।		1 हीराराम पुत्र फूसाराम 2 थानाराम 3 पुरखाराम पिसरा धूड़ाराम 4 रामाराम पुत्र सिद्वाराम 5 तीजों पत्नी सिद्वाराम 6 गंगाराम पुत्र धुड़ाराम जाति जाट निवासी दानपुरा (शिवकर) तहसील व जिला बाडमेर 7 तहसीलदार बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act.

उपस्थिति :— 1 श्री बांकाराम चौधरी, वकील प्रार्थीगण।

2 श्री हरीराम चौधरी, वकील अप्रार्थीगण।

आदेश

दिनांक 17/02/21

संक्षिप्त में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम दानपुरा पटवार मण्डल शिवकर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1073/805 रकबा 39.15 भूमि की आई हुई है, जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण के सेढा–सेढ अप्रार्थी संख्या 01 का खसरा संख्या 1075/805 रकबा 39.15 बीघा तथा अप्रार्थी संख्या 02 से 06 का खसरा संख्या 1074/805 रकबा 39.10 बीघा भूमि के आए हुए है जिसका मूल खसरा संख्या 805 है। प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी संख्या 01 से 06 के खेतों के बीच तरमीम दिनांक 09.06.2018 को हल्का पटवारी ने बिना किसी उच्चधिकारी, भूमिपति या किसी न्यायालय के आदेश के बावजूद हि अपनी मनमर्जी से तरमीम कर दी गई परन्तु मौके पर तथा लठ्ठा ट्रेस में की गई तरमीम में भारी अन्तर है। प्रार्थीगण की भूमि मौजा दानपुरा पटवार क्षेत्र शिवकर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा सख्या 1073/805 रकबा 39.15 बीघा, अप्रार्थी संख्या 01 के खसरा संख्या 1075/805 रकबा 39.15 बीघा तथा अप्रार्थी संख्या 02 से 06 का खसरा संख्या 1074/805 रकबा 39.10 बीघा में की लठ्ठा ट्रेस में की गई तरमीम अशुद्ध होने से मौके पर कब्जा काश्त परिशिष्ठ 'अ' के अनुसार तरमीम दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील अप्रार्थीगण उपस्थित। वकील अप्रार्थी[illegible] जवाब इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र[illegible] में अशुद्ध तरमीम का दुरूस्त कर मौके पर कब्जा काश्त अनुसार तरमीम परिशिष्ठ अ अनुसार तरमीम शुद्ध की जाती है तो उन्हे कोई आपति नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohit Chauhan
Date: 2021.03.01 12:07:19 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार बाडमेर से मौके व रेकर्ड की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार बाडमेर द्वारा पत्रांक भू.अ./2020/985 दिनांक 19.03.2021 द्वारा

उप खण्ड अधिकारी
बाडमेर

तथ्यात्मक प्रतिवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा पर कब्जा काश्त व रेकर्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम शिवकर के बेचान नामान्तकरण संख्या 148 दर्ज करते समय खसरा संख्या की नम्बर अंदाजी व ना.क. पुश्त पर नक्शा गलत बनाया गया, इसी अनुसार लठ्ठा ट्रेस में गलत तरमीम की गई, जो आदिनांक तक चली आ रही है। मौके अनुसार मूल खसरा संख्या 805 के उतरी भाग में थानाराम, पुरखाराम पिसरान धूड़ाराम, रामाराम पुत्र सिद्धाराम तीजो पत्नी सिद्धाराम व गंगाराम पुत्र धूड़ाराम का कब्जा काश्त है। मध्य भाग में हीराराम पुत्र फूसाराम का कब्जा काश्त है। दक्षिण भाग में पन्नाराम पुत्र चुतराराम, रावताराम पुत्र देराज पनी पत्नी देराज का कब्जा काश्त है, जबकि लठ्ठे में इससे भिन्न तरमीम कर दी गई। तहसीलदार बाड़मेर ने मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ठ 'ब' अनुसार खसरा नम्बरान की दुरूस्ती किये जाने का निवेदन किया।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों तथा तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के अनुसार ख्ग्राम शिवकर के बेचान नामान्तकरण संख्या 148 दर्ज करते समय खसरा संख्या की नम्बर अंदाजी व ना.क. पुश्त पर नक्शा गलत बनाया गया, इसी अनुसार लठ्ठा ट्रेस में गलत तरमीम की गई, जो आदिनांक तक चली आ रही है। मौके अनुसार मूल खसरा संख्या 805 के उतरी भाग में थानाराम, पुरखाराम पिसरान धूड़ाराम, रामाराम पुत्र सिद्धाराम तीजो पत्नी सिद्धाराम व गंगाराम पुत्र धूड़ाराम का कब्जा काश्त है। मध्य भाग में हीराराम पुत्र फूसाराम का कब्जा काश्त है। दक्षिण भाग में पन्नाराम पुत्र चुतराराम, रावताराम पुत्र देराज पनी पत्नी देराज का कब्जा काश्त है, जबकि लठ्ठे में इससे भिन्न तरमीम कर दी गई। रेकर्ड की स्थिति मौके पर कब्जा काश्त के परिशिष्ठ 'ब' अनुसार शुद्ध की जाती है तो अभिलेख भी शुद्ध हो जायेगा तथा रकबे में भी कोई परिवर्तन नही होगा।

अतः तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत जाचं प्रतिवेदन तथा उभय पक्षों की सहमति के मद्देनजर प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम दानपुरा पटवार मण्डल शिवकर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1073/805 रकबा 39.15 बीघा, खसरा संख्या 1075/805 रकबा 39.15 बीघा तथा खसरा संख्या 1074/805 रकबा 39.10 बीघा भूमि को तहसीलदार बाडमेर द्वारा मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'ब' अनुसार तरमीम दुरूस्त की जावे। नक्शा परिशिष्ठ 'ब' आदेश का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार बाडमेर तद्नुसार राजस्व अभिलेख में शुद्ध करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohit Chauhan
Date: 2021.03.01 12:07:19 IST
Reason: SelfAttested

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 17.2.21 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर